भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1746

(जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया गया)

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेनशियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) और इसकी सहायक कंपनियों के ऋण का समाधान

1746. श्री संजय सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2018 से इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेनशियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) बैंक ऋण का भुगतान (ब्याज सहित) करने की बाध्यता में सावधि जमा और अल्प अवधि जमा में चूक कर गयी है और वाणिज्यिक पत्रों को भुनाने की बाध्यता में असफल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेनशियल सर्विसेज पर 24 प्रत्यक्ष राजसहायता, 135 अप्रत्यक्ष राजसहायता, 6 संयुक्त उद्यम तथा 4 सहायक कंपनियों सहित कुल लगभग 91,000 करोड़ रुपये का कर्ज है; और

(ग) यदि हां, तो आई एल एण्ड एफ एस के कर्ज के मामले के समाधान के लिए सरकार द्वारा किये गए और विचारित उपाय क्या हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): इंफ्रास्ट्रकचर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) के समक्ष एक अनुषंगी कंपनी, आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आईटीएनएल) द्वारा जून, 2018 में उनकी पहली चूक का मामला सामने आया था जिसमें उसने लगभग 450 करोड़ रुपये मूल्य की अंतर-कारपोरेट जमाओं और वाणिज्यिक दस्तावेजों (उधारों) के संबंध में चूक की थी।

आईसीआरए रेटिंग्स एजेंसी ने जुलाई में एक नोट जारी किया था जिसमें आईटीएनएल (विशेष-प्रयोजन-वाहन परियोजना) की चार अनुषंगी कंपनियों की ऋण सेवा संबंधी अनियमितताओं का उल्लेख किया था जबकि एक पांचवीं परियोजना सेवा ऋणों के संबंध में डीएसआरए (ऋण सेवा संचय खाता) में डाल दी गई थी। अगस्त में, 4,475 करोड़ रुपये मूल्य की ऋण प्रतिभूतियों की दीर्घावधिक रेटिंग आईसीआरए द्वारा उच्च ऋण तथा समूह कंपनियों को किए वित्त पोषण पर विचार करते हुए एएए से घटाकर एए+ कर दी गई।

4 सितंबर, 2018 को, आईएल एंड एफएस ने सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के 1,000 करोड़ रुपये के अल्पावधिक ऋण की चूक की थी, जबकि एक अनुषंगी कंपनी ने विकास वित्तीय संस्था को देय 500 करोड़ रुपये की भी चूक की थी। इन चूकों के पश्चात्, पूर्ववर्ती प्रबंधन में 4,500 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के माध्यम से निधि जुटाने का प्रयास किया गया किंतु वह सफल नहीं हुआ।

(ख): आईएल एंड एफएस समूह में 302 विदेशी और घरेलू कंपनियां हैं। 08 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, इसमें लगभग 94,216 करोड़ रुपये के कुल संचित बाहरी वित्त आधारित ऋण के अंतर्गत 1 कोर निवेश कंपनी, 26 प्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनियां, 139 अप्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनियां, 8 प्रत्यक्ष संयुक्त उद्यम, 35 अप्रत्यक्ष संयुक्त उद्यम, 4 प्रत्यक्ष एसोसिएट्स, 15 अप्रत्यक्ष एसोसिएट्स और 74 संयुक्त नियंत्रित प्रचालन हैं।

एंटिटी की अवस्थिति	एंटिटियों की संख्या	8 अक्टूबर, 2018 तक बाहरी वित्त-आधारित ऋण (मूलधन करोड़ रुपये में)
घरेलू	169	89,246
विदेशी	133	4,970
कुल	**302**	**94,216**

एंटिटी का प्रकार	एंटिटियों की संख्या	8 अक्टूबर, 2018 तक बाहरी वित्त-आधारित ऋण (मूलधन करोड़ रुपये में)
कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)	1	18,052
प्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी	26	32,644
अप्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी	139	32,187
प्रत्यक्ष संयुक्त उद्यम	8	3,040
अप्रत्यक्ष संयुक्त उद्यम	35	6,350
प्रत्यक्ष एसोसिएट्स	4	1,111
अप्रत्यक्ष एसोसिएट्स	15	832
संयुक्त नियंत्रित कंपनियां (जेसीओ)	74	शून्य
कुल	**302**	**94,216**

(ग): वित्तीय बाजार में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ लि. की जिसकी अपने ऋण और संसर्ग प्रभाव की निकटतम संभाव्यता सेवा में निरंतर असफलता के कारण, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के अंतर्गत प्रबंध नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई बैंच के समक्ष एक आवेदन दिया था। एनसीएलटी, मुंबई पीठ ने दिनांक 01.10.2018 के अपने आदेश के जरिए इस संबंध में दाखिल किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए आईएलएंडएफएस के तत्कालीन निदेशक बोर्ड और सरकारी नामितियों, जिन्होंने आईएलएंडएफएस तथा उसकी समूह कंपनियों के साथ व्यवस्थित समाधान के लिए कार्य किया है, जिनको निदेशकों के पद पर नियुक्त किया था, को निलंबित कर दिया था। समस्त प्रक्रिया एनसीएलटी के पर्यवेक्षण के अधीन निष्पादित की जा रही है। समाधान प्रक्रिया के दौरान, स्थिर अवधि को सुनिश्चित करने के लिए लेनदारों के विरुद्ध स्थगन की मांग की गई थी जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा अगले आदेशों तक अंतरिम आधार पर स्वीकृत कर दिया गया है। एनसीएलएटी द्वारा आईएल एंड एफएस और इसकी ग्रुप कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण और समाधान के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी. के. जैन, भारतीय उच्चतम न्यायालय को नियुक्त किया गया है। आईएलएंडएफएस और इसकी समूह कंपनियों का समाधान एनसीएलटी और एनसीएलएटी के समक्ष न्यायाधीन है।

कंपनी के समाधान के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 30.09.2018 को आईएलएंडएफएस और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कार्यों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कराए जाने का आदेश दिया है। अब तक एसएफआईओ ने दिनांक 30.11.2018 को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट और दिनांक 28.05.2019 को दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो एनसीएलटी के समक्ष फाइल कर दी गई हैं।

एसएफआईओ द्वारा फाइल की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने एसएफआईओ द्वारा पहचाने गए संदिग्धों/ प्रतिवादियों की चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए राहत की मांग की है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने एनसीएलटी द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश के उल्लंघन के लिए कतिपय अतिरिक्त प्रतिवादियों के विरूद्ध अवमानना याचिका भी दायर की है। एनसीएलटी ने अब तक निम्नलिखित प्रतिवादियों को उनकी चल और अचल संपत्तियां हस्तांतरित करने के लिए प्रतिबंधित किया है:

क्र.सं.	**प्रतिवादी का नाम**
1.	हरि शंकरन
2.	अरूण के साहा
3.	रवि पार्थसारथी
4.	विभव कपूर
5.	के. रामचंद
6.	रमेश सी बावा
7.	प्रदीप पुरी
8.	एस रंगाराजन
9.	मुकुंद सप्रे
10.	आशा किरण बावा
11.	आकांक्षा बावा

इसके अतिरिक्त, एसएफआईओ द्वारा दिनांक 28.05.2019 को प्रस्तुत दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 (5) के अधीन वर्तमान सांविधिक लेखापरीक्षकों को हटाने और पांच वर्ष की अवधि के लिए उन्हें प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

इसके अलावा, एसएफआईओ ने आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और इसके निदेशकों, कुछ अधिकारियों और इसके लेखापरीक्षकों के विरूद्ध मुंबई स्थित विशेष अदालत के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447, धारा 447 के साथ पठित धारा 36, धारा 147 के साथ पठित धारा 143, धारा 448 के साथ पठित धारा 129 और धारा 184(4), कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के साथ पठित धारा 68 और धारा 628 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख, धारा 417 और धारा 420 के अधीन शिकायत दर्ज की है।

केंद्र सरकार ने एसएफआईओ द्वारा मुंबई स्थित विशेष अदालत में अपनी शिकायत में नामज़द अभियुक्त को एनसीएलटी के समक्ष अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में अभियोजित करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष आवेदन भी फाइल किया है और अतिरिक्त संदिग्धों/प्रतिवादियों को उनकी चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए राहत मांगी है।

एसएफआईओ द्वारा आईएलएंडएफएस लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कार्यों की जांच की जा रही है और मामले एनसीएलटी, एनसीएलएटी तथा विशेष अदालत, मुंबई के समक्ष न्यायाधीन हैं।

*****